न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

रूकमा बनाम सरकार

12.04.19

अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रकरण में अपीलांट्स के पिता ने चक 3–5 सीएम के मुरब्बा नम्बर 92/23 की 25 बीघा भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92ए, 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए अपीलांट/वादी सोनाराम का वाद खारिज कर दिया। अपीलांट्स का तर्क है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई हेतु दर्ज कर लिया गया तथा तनकीयात् कायम कर दी गई। तत्पश्चात् वाद की सुनवाई के दौरान वादी की मृत्यु होने के उपरान्त वादी का दावा खारिज कर दिया गया।

अपीलाधीन प्रकरण के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि विपरीत कब्जे के आधार पर किसी अतिक्रमी के पक्ष में राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी की धोषणा नहीं की जा सकती। वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92ए तथा 188 के तहत सहायक उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के समक्ष पेश किया गया, जो उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं था। न्यायालय ने भूल से वाद दायर किया परन्तु गुणावगुण के आधार पर निर्णय के समय उक्त कानूनी स्थिति सामने आने पर क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वाद खारिज कर दिया गया। अपीलांट के अनुसार वादी की मृत्यु के उपरान्त वाद खारिज करने में न्यायालय ने कानूनी भूल की है। जबकि वादी की मृत्यु के साथ ही वाद अबेट हो चुका था। अपीलांट्स उक्त तर्क का सहारा लेकर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को त्रूटिपूर्ण नहीं ठहरा सकते। अतः अपील कूननी प्रावधानों से असंगत होने के कारण अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner